Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

भारत-भूटान सम्बन्धों पर चीन का प्रभाव एवं भारत के सुरक्षा हित

Dr. Vijendra Singh*

Associate Professor, Department of Defence Studies, Sakaldiha P. G. College, Sakaldiha Bazar, Chandauli, Uttar Pradesh, India

***सारांश** – भूटान की भारत एवं चीन दोनों के साथ एक लम्बी सीमा लगती है। इसके बावजूद भारत-भूटान सम्बन्धों में जो गहराई है वह चीन-भूटान सम्बन्धों में नहीं दिखाई देती है। भारत एवं भूटान के बीच की नजदीकी दोनों देशों की भौगोलिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों से भी है। भारत - भूटान सम्बन्ध मुख्य रूप से 1910 के ब्रिटिश-भारत एवं भूटान समझौते, 1949 की भारत-भूटान संधि एवं भारत-भूटान मित्रता संधि 2007 के द्वारा संचालित होते रहे हैं। भारत एवं चीन दोनों को स्त्रातेजिक एवं सुरक्षा कारणों से भूटान की महती आवश्यकता है। वर्तमान में भूटान में दोनों देश दौड़ लगाना चाहते हैं, जिसमें किसी एक के प्रभाव में वृद्धि दूसरे के अपने हितों के प्रतिकूल प्रतीत होती है।*

***मुख्य शब्द** - सुरक्षा, सामरिक, डोकलाम, चिकन नेक*

----------X----------

भूटान के लोग अपने को 'डैकुला' (गरजने वाला नागदैत्य) की भूमिं का नागरिक कहते हैं। यह एक भू-आबद्ध (संदक स्वबामक) राष्ट है। भूटान के पास जल सेना एवं वायु सेना नहीं है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं विकास का साझेदार है। भूटान की विदेशी मामलों, रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीकी एवं सुरक्षा मामलों में भारत पर निर्भरता है। अतः स्वभावतः भारत एवं भूटान के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। दूसरी ओर चीन के साथ भूटान के सीमा एवं क्षेत्रीय विवाद हैं। भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 47000 वर्ग किलोमीटर है। चीन के साथ भूटान की 470 किमी0 लम्बी सीमा है। भारत भूटान के साथ 699 किमी. लम्बी सीमा साझा करता है जो इस प्रकार है [1]-

क्र. सं.	भारतीय राज्य	सीमा (किमी. में)
1	सिक्किम	32
2	प. बंगाल	183
3	असम	267
4	अरूणांचल प्रदेश	217

2001 में पूर्व भूटान नरेश जिग्मे वांग्चुक ने शासन के दैनिक कार्यों को एक परिषद को हस्तांतरित कर दिया। 2006 में सत्ता उन्होंने अपने पुत्र 'खेसर नामग्याल वांग्चुक' को सौंप दी। भूटान की संसद शोगडू में 154 सीटें है। राजा की कार्यकारी शक्तियाँ शोगाडू के माध्यम से चुनी गयी मंत्रिपरिषद में होती है।[2] वर्तमान में भूटान के 52 देशों एवं यूरोपीय संघ के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं। भूटान दक्षेस एवं बिम्सटेक का भी सदस्य है।

भारत-भूटान सम्बन्ध

1910 में ब्रिटिश भारत के साथ एक संधि (पुनाखा संधि) के द्वारा भूटान ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य बना और भारतीय अंग्रेजों को अपनी विदेश नीति एवं रक्षा मामलों को निर्देशित करने की छूट दी। 1947 के बाद भारत ने सिक्किम, नेपाल एवं तिब्बत के साथ एक यथा-स्थिति समझौता किया कि जब तक नये समझौते नहीं हो जाते पुरानी व्यवस्थायें कायम रहेंगी। 8 अगस्त, 1949 को भारत एवं भूटान के बीच परस्पर शांति एवं मित्रता के समझौते पर हस्ताक्षर हुये। इस संधि के बाद से भूटान की विदेश एवं रक्षा नीति भारतीय दिशा-निर्देशों

www.ignited.in

के अनुरूप तय होती रही। इस संधि के अध्याय 2 के अनुसार भारत सरकार भूटान के अन्दरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भूटान सरकार अपने वाह्य सम्बन्धों के मामलों में भारत सरकार से सलाह एवं निर्देश लेने हेतु सहमत हुई। किन्तु दोनो देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध 1968 में स्थापित हुए जब थिम्पू में भारत का एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ।[3]

भारत-भूटान के बीच व्यापार एवं वाणिज्य करार पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर किये गये और दोनों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इसके बाद 2006 एवं 2016 में इसका नवीनीकरण हुआ।[4] भूटान भारत से ही अधिकांश वस्तुओं का आयात करता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक का साझेदार है। 2016 में दोनों देशों के बीच कुल रू. 8723 करोड व्यापार का हुआ।[5]

1949 में चीन में कम्युनिष्ट आंदोलन बहुत प्रबल था। भारत में इसके प्रसार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पहुँच सकता था। अतः भूटान को चीन के कम्युनिष्ट आंदोलन से दूर रखना बहुत आवश्यक था। इसके लिए भारत एवं भूटान के बीच 1949 जैसी संधि आवश्यक थी। भारत 1948 में भारत कश्मीर की समस्या से जूझ रहा था अन्यथा हो सकता है भूटान को भारत का एक संरक्षित राज्य घोषित करता।

भारत ने सदैव भूटान को पर्याप्त आर्थिक एवं अन्य सहायता दी। किन्तु परम्परागत भारत-भूटान रिश्तों में भूटान की ओर से 1971 से बदलाव दिखने लगा जबकि भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली। 1972 में भूटान ने बांग्लादेश को मान्यता दी और उसके साथ एक व्यापार समझौता भी किया। इसके बाद 1979 के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में खमेर रूज (कम्बोडिया) के मुद्दे पर भारत के विपरीत मत दिया। भारत में जनता पार्टी के शासन काल में भूटान ने 1949 की भारत-भूटान संधि पर खिन्नता प्रकट की और इसे पुनर्निर्धारित (Revise) करने की आवश्यकता पर बल दिया।

भूटान में 2008 में राष्ट्रीय सभा (National Assembly) के लिए चुनाव हुये और पहली बार भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अतः जनादेश के सम्मान में और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत-भूटान सम्बन्धों की पूर्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन एवं संशोधन अपरिहार्य थे। इस हेतु भूटान के नये राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की यात्रा की तथा दोनों देशों ने फरवरी 2007 में शान्ति एवं मित्रता की एक नई संधि पर हस्ताक्षर किये। पूर्व संधि (1949) के विपरीत इस नई संधि में भूटान की 'सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता' का पहलू मुख्य था।

8 फरवरी, 2007 को भारत एवं भूटान के बीच नई (संशोधित) संधि पर हस्ताक्षर किये गये। 1949 की पूर्व संधि की तुलना में इसमें दो प्रमुख तथ्य थे। पहला- अनुच्छेद 2 (भारत-भूटान मित्रता संधि 2007) के अनुसार, दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक दूसरे को नजदीकी सहयोग प्रदान करेंगे। कोई भी सरकार दूसरे के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य हितों के खिलाफ होने वाली हानिकारक गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का प्रयोग नहीं होने देगी। नई संधि के अनुसार भूटान बिना भारत से परामर्श के किसी भी देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। संधि के अनुच्छेद चार के अनुसार भूटान भारत के परामर्श से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हथियारों एवं शस्त्रास्त्रों का आयात कर सकता है।

भारत के लिए भूटान का सामरिक एवं सुरक्षा महत्व

वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना। भारत के लिए भूटान का कितना महत्व है? यह इससे स्पष्ट हो जाता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 'भारत के लिए भूटान एवं भूटान के लिए भारत' का नारा दिया। भारत के लिए भूटान का निम्न सामरिक एवं सुरक्षा महत्व है-

1. यदि भूटान एक समरस राष्ट्र के रूप में भारत के साथ रहता है तो इससे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि एवं हैसियत में वृद्धि होती है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ हद तक भारत द्वारा भूटान का स्त्रातेजिक लाभ लिया जा सकता है।

2. भूटान भारत एवं चीन के बीच एक मध्यवर्ती राष्ट्र है। भारत का वहाँ से प्रभाव कम होने की स्थिति में चीन अविलम्ब उस रिक्तता को भरने के लिए आतुर है। भारत नेपाल एवं भूटान में सुरक्षा एवं सामरिक कारणों से चीन की उपस्थिति को नहीं सहन कर सकता है

क्योंकि चीन पहले से ही भारत को अपनी परिधि में लेने का प्रयास कर रहा है।

3. चीन डोकलाम क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहता है। डोकलाम 269 वर्ग किमी. क्षेत्रफल वाला एक छोटा पठारी क्षेत्र है जो भूटान-चीन-भारत के सीमाई मिलन बिन्दु के नजदीक भूटान एवं चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। डोकलाम पठार के पश्चिमी किनारे पर 'डोक ला पास' है जो सिक्किम (एवं तिब्बत को भी) जोड़ता है। डोक ला पास की सुरक्षा भारत करता है। डोकलाम पठार के भूटानी भू-भाग की सुरक्षा भूटान स्वयं करता है। यहाँ से भारत का सिलीगुरी कारिडोर अत्यन्त नजदीक है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को सड़क एवं रेलमार्ग से मुख्य भारत से जोड़ता है। भारत की असम एवं अरूणांचल प्रदेश की सीमाई चैकियों को रसद आदि भी इसी चिकन नेक के रास्ते से आपूर्ति की जाती है। युद्ध जैसी स्थिति में यह क्षेत्र अति संवेदनशील रहेगा। अतः इस क्षेत्र से चीन को दूर रखने के लिए भी भारत को भूटान की आवश्यकता है।

1. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (N. E. Region) में विप्लव की स्थिति है। यहाँ के विप्लवी समूह भूटान के जंगलों में शरण लेते रहे हैं। भूटान की सेना ने इनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें वहाँ से हटाया है।

2. भारत भूटान से उसकी अतिरिक्त जल-विद्युत का आयात कर सकता है। भूटान की बड़ी जल-विद्युत परियोजनायें भारत के सहयोग से संचालित हो रही हैं।

3. भूटान के साथ बढ़ते हुए व्यापार एवं वाणिज्य से असम एवं अरूणांचल प्रदेश जैसे राज्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

भूटान-चीन सम्बन्ध एवं भूटान में चीन के सुरक्षा एवं सामरिक हित

अपनी स्त्रातेजिक भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान का चीन के लिए स्त्रातेजिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माओ ने 1949 में तिब्बत पर अधिकार करने के समय 'च्यांग काई शेक' से कहा था कि तिब्बत चीन की हथेली एवं नेपाल, सिक्किम, भूटान, नेफा (अरूणांचल प्रदेश) एवं लद्दाख पाँचों ऊँगलियों के समान हैं। उन्होंने कहा कि ये चीन के भू-भाग हैं जिन्हें मुक्त कराना होगा। चुम्बी घाटी एवं डोकलाम क्षेत्र में चीन की बजाय भारत बेहतर स्थिति में है। इस क्षेत्र में भारत के एक सैनिक के मुकाबले चीन को नौ सैनिक उतारने पड़ेंगें। 1962 के भारत-चीन संघर्ष के विराम के बाद माओ आदान-प्रदान (give and take) के द्वारा सीमा विवाद का हल चाहते थे। वे सिक्किम एवं अरूणांचल प्रदेश के बदले लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को छोड़ना चाहते थे। यद्यपि चीन के कुछ जानकार इससे सहमत नहीं थे तथा भारत ने भी इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई। चीन से संघर्ष की स्थिति में यदि अक्साई-चिन क्षेत्र में भारत पर दबाव पड़ता है तो इस क्षेत्र में भारत चीन पर दबाव डाल सकता है। अतः भूटान एवं अरूणांचल प्रदेश के क्षेत्र में चीन भारत पर अपनी भू-स्त्रातेजिक श्रेष्ठता चाहता है।

चीन द्वारा भूटान पर भारत से परामर्श के बजाय सीधे चीन-भूटान सीमा-विवाद पर बात करने के लिए दबाव डाला जाता रहा है। 1958 में चीन द्वारा उत्तर-पूर्वी भूटान के एक बड़े भू-भाग को अपने मानचित्र में तिब्बत के एक भाग के रूप में दिखाया गया था। इसी के बाद तत्कालीन चीन को चेतावनी देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिमालय क्षेत्र में किसी के भी हस्तक्षेप को भारत स्वीकार नहीं करेगा। चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र के बलपूर्वक अधिग्रहण (1959) से भूटान चीन के प्रति अधिक संशकित हुआ। बाद के वर्षों में तिब्बती शरणार्थी भी भूटान पहुँचने लगे जिससे भूटान को समस्यायें उत्पन्न हुई और तिब्बत सीमा को सील कर दिया गया।[6] इसके बावजूद भूटान में घुस चुके तिब्बती लोगों की आस्था दलाई लामा एवं अपनी संस्कृति में बनी रही और अन्तर्मन से वे भूटानी संस्कृति एवं भूटान को नहीं अपना सके। यह समस्या कई दशकों तक बनी रही।[7]

1960 के बाद चीनी शासकों ने कहा कि भूटान सहित सभी हिमालयी राज्य जो कि भारत के अधिकार में है उन्हें मुक्त कराना चाहिए। इससे भूटान एवं चीन के रिश्ते में दरार अधिक बढ़ी। परन्तु बाद में चाऊ-एन-लाई ने माना कि चीन किसी भी तरह से भारत-भूटान सम्बन्धों के खिलाफ नहीं रहेगा। 1962 में भारत की पराजय से भूटान की जनता में भूटान की सुरक्षा भारत के द्वारा हो सकने पर चर्चा होने लगी। चीन द्वारा भी भूटान पर भारत से सम्बन्ध तोड़ने के लिए दबाव भी

बनाया गया। उसने भूटान को समय-समय पर आर्थिक सहायता देने का भी प्रलोभन दिया और चीन-भूटान सीमा पर बार-बार हस्तक्षेप भी करता रहा।

इसके बावजूद 1974 में भूटान के शासक के राजतिलक के कार्यक्रम में एक चीनी प्रतिनिधि मण्डल शामिल हुआ। 1979 में चीन ने भूटान के सीमान्त क्षेत्र पर हमला किया। भूटान इसे भारत के परामर्श से सुलझाना चाहता था जबकि चीन उस पर द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाने पर दबाव डालता रहा। अन्ततः दोनो देशों के बीच सीमा विवाद् को हल करने के लिए कई चक्र की वार्ता के बावजूद कुछ ठोस समाधान नहीं निकल सका। चीन-भूटान के मध्य 1998 में हुई 12 वें दौर की वार्ता में यह समझौता हुआ कि 1959 से पहले की मौजूदा चीन-भूटान सीमा को यथावत रखा जाय तथा सीमा पर एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हो।[8]

ऐसा माना जाता है कि नई दिल्ली को अधेरे में रखकर जून, 2012 में भूटान एवं चीन के बीच पूर्व नियोजित बैठक एवं कुछ समझौते हुए। भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर भूटान के सामान्य सुरक्षा (Common Security) के मुद्दों पर भी नई दिल्ली को अंधेरे में रखने तथा पारदर्शित की कमी को उठाया गया। इस कारण एवं कुछ अन्य कारणों से भूटान में आम चुनाव से पहले भारत ने दी जाने वाली रसोई गैस एवं केरोसीन पर से सब्सीडी हटा ली। यद्यपि भारत के इस कदम की भूटान में कई तरह से आलोचना हुई।

निष्कर्ष

इस तरह हल्के उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत-भूटान स्म्बन्ध सामान्य से बेहतर रहे हैं। किन्तु छोटे हिमालयी राज्यों में चीन अपना दखल बढ़ाना चाहता है। कौटिल्य के मण्डल सिद्धान्त के अनुरूप दोनों देशों भारत एवं चीन के बीच सामान्य रिश्ते नहीं रह सकते हैं। इसका प्रमुख कारण दोनों के बीच व्यापारिक एवं सामरिक शक्ति प्रतिस्पद्र्धा है। भूटान में दोनो लगभग शून्य जोड खेल (zero sum game) हंउमद्ध की स्थिति में हैं। भविष्य में भारत-भूटान सम्बन्धों की दिशा पूर्णतः नहीं तो कुछ हद तक चीन-भूटान सम्बन्धों पर अवश्य निर्भर करेगी। हालांकि भूटान की जनता में पहले की अपेक्षा भारत के प्रति विश्वास में कमी आई है किन्तु चीन से भी वह आश्वस्त नहीं है।

सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. www.mha.gov.in
2. www.wickipediya.com 27-07-2018
3. http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bhutan_September_2017_en.pdf 22.7.2018
4. www.mea.gov.in
5. In 2016, total bilateral trade between the two countries stood at Rs. 8,723 crore with total imports being Rs. 5528.5 crore (82% of Bhutan's total imports) and exports recorded as Rs. 3205.2 crore including electricity (90% of Bhutan's total exports). http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bhutan_September_2017_en.pdf 22.7.2018
6. Peter Hess, 'Bhutan: The Problems of Buffer State', Swiss Review of World Affairs, Stocklhom, November 1968, p. l7.
7. कोहली मनोरमा, फ्राम डिपेन्डेंसी टू इंटरडिपेंडेंस, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1993, पृ. 72
8. मैथू थेरी, "द तिब्बत एण्ड इट्स नेभरसः मूविगं टूवर्डय ए न्यू चाइनीज स्ट्रेटेजी इन द हिमालयन रीजन, एशियन सर्वे, बा0 45 ए नं0 4, जुलाई-अगस्त 2005, पृष्ठ 411

Corresponding Author

Dr. Vijendra Singh*

Associate Professor, Department of Defence Studies, Sakaldiha P. G. College, Sakaldiha Bazar, Chandauli, Uttar Pradesh, India

E-Mail – vijendradefence@gmail.com